



दिनांक 15.02.2025

प्रेस विज्ञप्ति 17/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जौनपुर/थाना सरायख्वाजा

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.02.2025 को थाना सरायख्वाजा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आरिफ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सरायख्वाजा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरायख्वाजा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- आरिफ निवासी अतरौरा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना लिंकरोड

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी के भारी मात्रा में (पीली-सफेद) धातु के आभूषण

- चोरी के 04 लाख 70 हजार रुपये नगद बरामद

दिनांक 15.02.2025 को थाना लिंकरोड व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुरी रेलवे लाइन के पास से अभियुक्त रफीक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में (पीली-सफेद) धातु के आभूषण, 04 लाख 70 हजार रुपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना लिंकरोड क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पर अभियोग पंजीकृत कर

अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- रफीक निवासी शास्त्री पार्क उस्मानपुर, दिल्ली।

बरामदगी

1-चोरी के भारी मात्रा में (पीली-सफेद) धातु के आभूषण।

2-चोरी के 04 लाख 70 हजार रूपये नगद बरामद।

जनपद मैनपुरी/थाना कोतवाली

• 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की घटना का अनावरण

• चोरी के भारी मात्रा में (पीली-सफेद) धातु के आभूषण

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 15.02.2025 को थाना कोतवाली व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दीवानी रोड अन्डरपास खण्डहर के पास से अभियुक्त निखिल उर्फ नकुल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में (पीली-सफेद) धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत आज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- निखिल उर्फ नकुल निवासी खरपरी थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1-चोरी के भारी मात्रा में (पीली-सफेद) धातु के आभूषण।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना निगोही

- पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के भारी मात्रा में (पीली-सफेद) धातु के आभूषण
- 21 हजार रुपये नगद
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 15.02.2025 को थाना निगोही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भटियूरा पृथ्वीपुर से पहले कच्चे रास्ते से पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1-लक्ष्मण 2-दलगंजन 3-कैलाश 4-रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में (पीली-सफेद) धातु के आभूषण, 21 हजार रुपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त लक्ष्मण के विरुद्ध जनपद आजमगढ़, रामपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 07 अभियोग व अभियुक्त कैलाश के विरुद्ध जनपद आजमगढ़, बरेली व मऊ के विभिन्न थानों पर चोरी आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना निगोही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-लक्ष्मण निवासी ग्राम मिल्किया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।
- 2-दलगंजन निवासी ग्राम मिल्किया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।
- 3-कैलाश निवासी ग्राम मिल्किया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।
- 4-रवि कुमार निवासी कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

- 1-चोरी के भारी मात्रा में (पीली-सफेद) धातु के आभूषण
- 2-21 हजार रूपये नगद
- 3-02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

जनपद मेरठ/थाना पल्लवपुरम

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 14.02.2025 को थाना पल्लवपुरम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कृष्णानगर से जटौली मार्ग पर शमशान घाट के सामने बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1-विकास उर्फ मिन्टू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2-विहान उर्फ सागर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना पल्लवपुरम पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-विकास उर्फ मिन्टू निवासी नंगला पिथोरा थाना तितवी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2-विहान उर्फ सागर निवासी नंगला पिथोरा थाना तितवी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

- 1-02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

~ 5 ~
जनपद खीरी/थाना पढुआ

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 15 लाख रुपये (कीमत) के चोरी/लूट के 49 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 14.02.2025 को थाना पढुआ व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1-गौतम 2-धर्मेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रुपये (कीमत) के चोरी/लूट के 49 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना पढुआ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-गौतम निवासी ग्राम बाबूपुर थाना तीन पहाड़ जनपद साहिबगंज, झारखण्ड।
- 2-धर्मेन्द्र कुमार निवासी पंचायत भवन थाना तीन पहाड़ जनपद साहिबगंज, झारखण्ड।

बरामदगी

- 1-लगभग 15 लाख रुपये (कीमत) के चोरी/लूट के 49 मोबाइल फोन।

जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 02 करोड़ रुपये (कीमत) के 04 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद

दिनांक 15.02.2025 को थाना रूपईडीहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना रूपईडीहा क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1-मो0 हनीफ 2-हवलदार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ रुपये (कीमत) के 04 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—मो० हनीफ निवासी शाहपुर जोत युसुफ हटिला थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।
- 2—हवलदार निवासी करीमगॉव थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच।

बरामदगी

- 1— लगभग 02 करोड़ रुपये (कीमत) के 04 किलो 50 ग्राम अवैध चरस।

➤ जनपद महाराजगंज/थाना पनियरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 02 लाख 07 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद महाराजगंज द्वारा थाना पनियरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—विजय कुमार 2—अजीत 3—पृथ्वी को आजीवन सश्रम कारावास व प्रत्येक को 02 लाख 07 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—126 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रुपये अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सेक्टर—126 पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नीरज को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 60 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना परसरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354ख/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ करिया को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 24 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/323/354/452/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मयंक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 24 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
